जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम वर्ष 2016–17 अन्तर्गत अनुदान पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व के वितरण हेतु कार्यान्वयन अनुदेश

1. **कार्यक्रम का उद्देश्य :** जैविक/टिकाऊ खेती कृषि रोड मैप (2012–17) का एक अभिन्न अंग है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को सस्ते दर पर जैव उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उत्पादन लागत मूल्य को कम करने के उद्देश्य से राज्य में अनुदानित दर पर जैव उर्वरक वितरण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से राज्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों यथा–जिंक एवं बोरॉन की कमी वाले क्षेत्रों में अनुदान पर इसका वितरण कराकर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

2. **लक्ष्य का निर्धारण :** जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में फसल क्षेत्र के रकबा के आधार पर जिले के जैव उर्वरक के लक्ष्य को विखंडित कर प्रखण्डवार एवं पंचायतवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण करेगें तथा सभी संबंधितों को सूचित करेंगे। इसी प्रकार से जिले में जिंक एवं बोरॉन की कमी वाले क्षेत्रों में अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

3. **प्रतिष्ठान/बिक्रेता का चयन :**

   3.1 अनुमान्य विशिष्टि के सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक एवं बोरॉन) तथा जैव उर्वरक यथा राइजोबियम, पी0एस0बी0, एजोटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरीलम आदि की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठित कम्पनियों/प्रतिष्ठानों जिनको राज्य में इनके विपणन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है, उनके मानक उत्पाद को अनुदानित दर पर वितरण हेतु चयनित किया जायेगा।

   3.2 राज्य में जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व विपणन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अपने अधिकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं के माध्यम से जिलों में अनुदानित दर पर इसकी बिक्री की जायेगी।

   3.3 जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में जैव उर्वरक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा उर्वरक (सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक) विक्रेताओं को प्रखंडवार चिन्हित करेंगे।

   3.4 प्रत्येक चिन्हित बिक्रेता को उनके पास जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर जिला कृषि पदाधिकारी सभी संबंधितों को सूचित करेंगे।

4. **अनुदान की राशि एवं शर्तें :**

   4.1 अनुदान राशि जैव उर्वरक के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 75 रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमान्य होगी।

   4.2 इसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व में अनुदान राशि इसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगी। एक किसान को जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए अलग–अलग अधिकतम दो हेक्टेयर फसल क्षेत्र के लिए अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

4.3 जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए अलग–अलग कुल स्वीकृत को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या के अनुसार लक्ष्य का कर्णांकित करेंगे।

5. प्रचार प्रसार :

5.1 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से जिला में प्रचार प्रसार कराया जायेगा।

5.2 प्रत्येक मौसम में अनुदान पर जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण हेतु 05 दिनों की वितरण शिविर अवधि प्रत्येक प्रखंड में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी अथवा खरीफ/रबी/गर्मा मौसम में कृषि/उद्यान के कार्यक्रमों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण–सह–उपादान वितरण शिविर में भी इसकी बिक्री की जा सकती है।

5.3 शिविर में प्रत्येक दिन आवश्यकतानुसार 3–5 पंचायतों को सम्बद्ध कर बिक्री कराया जाएगा।

5.4 किसी पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त नहीं होने पर 06 वें दिन शिविर आयोजित कर प्रखंड के लक्ष्य के अन्तर्गत एक पंचायत के लक्ष्य को दूसरे पंचायत में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अन्तरपरिवर्तन कर सकते हैं।

5.5 इसके बाद भी किसी प्रखंड के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है तो जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत एक प्रखंड के लक्ष्य को दूसरे प्रखंड में अन्तरपरिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु यह कार्य दिसम्बर माह के बाद ही किया जाएगा तथा यह परिवर्तन जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत अलग–अलग होगा।

6. आवेदन देने की प्रक्रिया :

6.1 इच्छुक किसान निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र (अनुसूची–01) में अपने कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को देंगें, परन्तु जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए अलग–अलग आवेदन दिया जायेगा।

6.2 कृषक अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ किसान क्रेडिट कार्ड आदि की प्रति संलग्न करेंगें।

6.3 प्राप्त आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–02 में फसल क्षेत्र के रकबा के अनुसार जिंक/बोरॉन तथा जैव उर्वरक देने की अनुशंसा की जाएगी तथा अनुशंसा पत्र किसान को वापस कर दी जाएगी।

6.4 आवेदन पत्र पर त्रिस्तरीय पंचायत के किसी प्रतिनिधि की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

6.5 अपने पंचायत के लिए निर्धारित शिविर अवधि में भी किसान से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

6.6 प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रखंड स्तर पर पंजी में अलग–अलग संधारित किया जाएगा।

7. **भंडार का सत्यापन एवं गुणवत्ता की जॉच**

वितरण अवधि निर्धारित करने के पूर्व प्रतिष्ठानों के पास जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता का सत्यापन, भंडार पंजी, बिक्री पंजी, बिक्री के कैशमेमो एवं गोदाम के आधार पर अनुमण्डल/प्रखंड कृषि पदाधिकारी से करा लिया जायेगा। अनुमंडल/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा लौटवार नमूना लिया जायेगा तथा गुणवत्ता जॉच हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना भेजी जाएगी।

8. **अनुदान पर जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण :**

8.1 जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धांत पर किया जाएगा।

8.2 अनुशंसा पत्र एवं पहचान पत्र लेकर किसान चिन्हित बिक्रेता के पास जाएँगें।

8.3 विक्रेता द्वारा अनुशंसा पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में किसान को कुल मूल्य पर वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुशंसा पत्र पर विक्रेता द्वारा दिये गये कुल जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा अंकित कर हस्ताक्षर किया जायेगा।

8.4 वितरण अवधि में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी इसका सतत पर्यवेक्षण करेंगें तथा शिविर में उपादानवार, लॉटवार नमूना संग्रह कर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना को भेजेंगे।

8.5 प्रत्येक अधिकृत एवं चिन्हित प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री स्थल पर वितरण सम्बंधी जानकारी के साथ फ्लैक्सी बोर्ड लगाना होगा।

8.6 बिक्रेता प्रतिष्ठान के स्तर पर पंचायतवार जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए अलग–अलग वितरण पंजी संधारित की जाएगी जिसमें लाभार्थी किसान का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, वितरित उपादान की मात्रा, बिक्री का कैशमेमो संख्या एवं तिथि, कुल राशि तथा लाभार्थी किसान का हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान लिया जाना अनिवार्य होगा।

8.7 विक्रेता द्वारा जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की बिक्री पंजी एवं बिक्री का कैशमेमो का संधारण किया जायेगा।

8.8 विक्रेता द्वारा कैशमेमो पर किसान का हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रति किसान को उपलब्ध करायी जायेगी।

8.9 जिला कृषि पदाधिकारी/चिन्हित बिक्रेता प्रतिष्ठान अपने निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही अनुदान पर जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण करेंगें।

8.10 वितरण अवधि में दूसरे जिले से प्राप्त होने वाले जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व के भंडार का सत्यापन संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा गुणवता जॉच हेतु नमूना संग्रह कर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना भेजा जाएगा।

9. **सूक्ष्म पोषक तत्व की विशिष्टि एवं उपयोग का दर :–**

पोषक तत्व का नाम	विशिष्टि	उपयोग का दर
जिंक (S.A.)	1. जिंक सल्फेट हेप्टाहाईड्रेट 21%	25 किग्रा0 प्रति हे0
	2. जिंक सल्फेट मोनोहाईड्रेट 33%	15 किग्रा0 प्रति हे0
जिंक (F.A.)	3. चिलेटेड जिंक अथवा जिंक E.D.T.A 12%	500 ग्रा0 प्रति हे0
	(i) बोरॉन 10.5% B (सोडियम टेट्राबोरेट)	5 किग्रा0 प्रति हे0

	(ii) बोरॉन 15% B	3 किग्रा0 प्रति हे0
बोरॉन (S.A)	(iii) बोरिक एसिड 17% B	3 किग्रा0 प्रति हे0
	(iv) बोरॉन 20%B ((डाई सोडियम टेट्राबोरेट पेन्टा हाइड्रेट)	2 किग्रा0 प्रति हे0

10. जैव उर्वरक की विशिष्टि एवं उपयोग का दर :–

जैव उर्वरक का नाम	विशिष्टि	उपयोग का दर
राइजोबियम	अरहर, उड़द, मूँग, मसूर, चना, मटर के राइजोबियम @ 20 ग्राम प्रति किलो बीज	500–1000 ग्राम प्रति हे0
पी0एस0बी0	सभी फसलों के लिए पी0एस0बी0 कल्चर @ 20 ग्राम प्रति किलो बीज।	500–1000 ग्राम प्रति हे0
एजोटोबैक्टर	धान, गेंहूँ, मक्का, जई, ज्वार, बाजरा, कपास, तेलहन एवं सब्जी फसलों के लिए एजोटोबैक्टर कल्चर @ 20 ग्राम प्रति किलो बीज।	500–1000 ग्राम प्रति हे0
एजोस्पीरीलम	धान, गेंहूँ, मक्का, ईख, ज्वार एवं सब्जी फसलों के लिए एजोस्पीरीलम कल्चर @ 20 ग्राम प्रति किलो बीज ।	500–1000 ग्राम प्रति हे0

11. अनुदान दावे का भुगतान की प्रक्रिया :

11.1 उपादान वितरण की समाप्ति के पश्चात् 10 दिनों के अंदर किसान द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–03 में अनुदान दावा विपत्र एवं जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु अनुशंसा पत्र, कैशमेमो की प्रति, पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा नीचे अंकित प्रपत्र में एक समेकित दावा विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुदान दावा का समेकित विपत्र

क्र0 सं0	लाभार्थी किसान का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत	बैंक का नाम एवं शाखा का नाम	IFSC कोड संख्या	खाता संख्या	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से कृषक द्वारा उपादान क्रय किया गया हो	उपादान बिक्री का नाम एवं मात्रा (कि0ग्रा0 में)		बिक्री का नगद विपत्र संख्या एवं तिथि	कुल मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
								उपादान का नाम	मात्रा (कि0ग्रा0)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

11.2 प्राप्त अभिश्रव का शत–प्रतिशत जाँच संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा विपत्र समर्पित करने के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा।

11.3 विपत्र एवं अन्य कागजात सत्यापन के बाद एक सप्ताह के अंदर समेकित कर जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

11.4 अभिलेख एवं विपत्र सत्यापन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान का भुगतान आर0टी0जी0एस0/डी0बी0टी0 के माध्यम से सम्बंधित किसान को किया जाएगा।

12 **अभिलेख का संधारण :** इस कार्यक्रम अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची संलग्न अनुसूची–04 में प्रखण्डवार/पंचायतवार हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में जिला स्तर पर संधारित की जाएगी तथा सॉफ्ट कॉपी की एक प्रति कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसे कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके।

13 **किसान सलाहकार का दायित्व :**

13.1 इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

13.2 लाभार्थी कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करना।

13.3 अपनी देख–रेख में जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण कराना।

13.4 किसानों के आवेदन पत्र एवं पहचान पत्र का सत्यापन कर अनुदान पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व देने की अनुशंसा करना।

14 **कृषि समन्वयक का दायित्व :**

14.1 इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

14.2 प्राप्त आवेदन पत्र एव पहचान पत्र का सत्यापन कर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व देने की अनुशंसा करना।

14.3 जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण अवधि में इसका सतत पर्यवेक्षण करना।

14.4 वितरण अवधि में सभी कागजातों की जाँच करना/संधारित कराना।

14.5 विपत्र समर्पित करने के एक सप्ताह के अंदर प्राप्त अभिश्रव का शत–प्रतिशत जॉच कराना।

15 **प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का दायित्व :**

15.1 प्रखण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रचारित कराना।

15.2 प्राप्त आवेदन पत्र एवं पहचान पत्र का सत्यापन कर/कराकर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

15.3 प्रखण्ड स्तर पर वितरण का सतत पर्यवेक्षण करना।

15.4 बिक्रेता प्रतिष्ठान के भंडार पंजी, बिक्री पंजी एवं बिक्री के कैशमेमो तथा गोदाम में उपलब्ध भंडार की जाँच करना।

15.5 पंचायतवार वितरण तिथि का निर्धारण करना।

15.6 वितरण के पूर्व/वितरण अवधि में गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रह करना तथा इसे गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना को भेजना तथा विश्लेषण प्रतिवेदन से जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराना।

15.7 अनुदान भुगतान हेतु किसान द्वारा समर्पित अनुदान दावा विपत्र को समेकित कर एक सप्ताह के अंदर लाभार्थी किसानों का कृषि समन्वयक/स्वयं के द्वारा शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराना/करना तथा विपत्र पर प्रमाण पत्र देकर अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

16 **अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का दायित्व :**

16.1 वितरण अवधि के पूर्व प्रतिष्ठानों के पास उपलबध जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा का सत्यापन भंडार पंजी, बिक्री पंजी, बिक्री के कैशमेमो तथा गोदाम में उपलब्धता के आधार पर करना तथा इससे सम्बंधित प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

16.2 अपने अनुमंडल अंतर्गत आयोजित वितरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना।

16.3 वितरण के पूर्व भंडार सत्यापन के समय गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना लेना तथा इसे गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना को भेजना तथा विश्लेषण प्रतिवेदन से जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराना।

16.4 वितरण अवधि में जिला के बाहर से आने वाले जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का भी नमूना लेना तथा गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजना तथा विश्लेषण प्रतिवेदन से जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराना।

17 **<u>जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्वः</u>**

17.1 इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।

17.2 वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर सभी सम्बंधित को सूचित करना।

17.3 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को प्रखण्डवार चिन्हित करना एवं उन्हें वितरण का लक्ष्य का निर्धारण करना तथा सभी सम्बंधितों को सूचित करना।

17.4 वितरण के पूर्व जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता का सत्यापन तथा गुणवत्ता की जाँच हेतु ननूना एकत्र कर प्रयोगशाला भेजना।

17.5 वितरण शिविर अवधि का निर्धारण कर सभी सम्बंधित को सूचित करना।

17.6 वितरण अवधि में इसका पर्यवेक्षण करना।

17.7 वितरण अवधि में जिला के बाहर से आने वाले जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूना एकत्र कर प्रयोगशाला भेजना।

17.8 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से किसानों के अनुदान दावे विपत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित करना।

18 **<u>जिला नोडल पदाधिकारी का दायित्वः</u>**

जिला नोडल पदाधिकारी अपने जिला में जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण की समीक्षा एवं औचक निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

19 **<u>प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्वः</u>**

अपने प्रमंडल अन्तर्गत अनुदान पर जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण का निरीक्षण करना तथा उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

20 **<u>कृषि निदेशक, बिहार, पटना का दायित्वः</u>**

जैविक प्रोत्साहन कोषांग के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा प्रगति से विभाग को अवगत कराना।

18.8.16

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

अनुसूची–01

जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण का आवेदन–पत्र

1. आवेदक का क्रमांक– तिथि– वित्तीय वर्ष–
2. आवेदक/आवेदिका का नाम– श्री/श्रीमती/सुश्री.....
3. पिता/पति का नाम– श्री/श्रीमती/सुश्री.....
4. आवेदक/आवेदिका का पता–
   ग्राम..... पंचायत/वार्ड .....
   पो0..... थाना..... प्रखण्ड.....
   जिला.....
5. आवेदक/आवेदिका की श्रेणी–
   (अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ी/अत्यन्त पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य)
6. आवेदक का दूरभाष/मो0 संख्या.....
7. लगाए जाने वाले फसल का नाम.....
8. फसल क्षेत्र के भूमि का विवरण.....
   प्रखंड..... मौजा..... थाना सं0.....
   खाता सं0..... प्लौट सं0..... रकबा (एकड़ में).....
   फसल क्षेत्र की चौहदी
   उत्तर..... दक्षिण.....
   पूर्व..... पश्चिम.....
9. बैंक खाता सं.....बैंक का नाम एवं शाखा.....
   IFSC कोड सं. .....
10. किसान की भूमि का प्रकार– (स्वयं का/लीज/पट्टा/बटाई):–
11. आवेदक के पास उपलब्ध सिंचाई के संसाधन.....
12. अनुदान पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा (किग्रा0 में).....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर ली गई अनुदान की राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा/दूँगी तथा सरकार मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सकती है।

त्रिस्तरीय पंचायत के किसी प्रतिनिधि की अनुशंसा

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

आवेदन प्राप्ति का क्रमांक:..... दिनांक:.....

प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती.....पिता/पति का नाम.....
ग्राम.....प्रखंड.....जिला..... से अनुदानित दर पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन प्राप्ति का पंजी क्रमांक..... .....दिनांक.....है।

प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

अनुसूची–02

अनुदानित दर पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु अनुशंसा पत्र

1. आवेदक का क्रमांक– तिथि– वित्तीय वर्ष–
2. आवेदक/आवेदिका का नाम– श्री/श्रीमती/सुश्री.....
3. पिता/पति का नाम– श्री .....
4. आवेदक/आवेदिका का पता–
   ग्राम..... पंचायत/वार्ड .....
   पो0..... थाना..... प्रखण्ड.....
   जिला.....
5. आवेदक/आवेदिका की श्रेणी–
   (अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ी/अत्यन्त पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/सामान्य)
6. फसल क्षेत्र के भूमि का विवरण.....
   प्रखंड..... मौजा..... थाना सं0.....
   खाता सं0..... प्लौट सं0..... रकबा (एकड़ में).....
7. किसान की भूमि का प्रकार– (स्वयं का/लीज/पट्टा/बटाई):–
8. अनुदान पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा (किग्रा0 में).....
9. स्पष्ट मंतव्य–

.....

कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

तिथि:–.....

बिक्रेता हेतु प्रपत्र

1. बिक्रेता का अनुज्ञप्ति सं0–
2. बिक्रेता का नाम एवं पता–
3. उपर्युक्त अनुशंसित कृषक को
   बिक्री की गई जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा (किग्रा0 में)–

.....

बिक्रेता का हस्ताक्षर एवं मुहर

तिथि:–.....

अनुसूची–03

अनुदानित दर पर जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व के अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित किया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. किसान का नामः–
2. पिता/पति का नाम–
3. ग्राम.................................प्रखंड.................................जिला.................................
4. बैंक खाता संख्या.................................बैंक का नाम.................................
   IFSC कोड सं0.................................(पासबुक की छायाप्रति संलग्न)
5. आवेदन का क्रमांक सं0.................................दिनांक.................................
6. अनुदान पर कुल प्राप्त जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा (किग्रा0 में).................................
7. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित कागजात समर्पित किया जा रहा है–
   A) जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु अनुशंसा पत्र
   B) कैशमेमो की प्रति
   C) मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड आदि।
8. मुझे ....बैंक.................................शाखा के मेरे खाता संख्या................................. IFSC कोड सं0.................................में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही है। मेरे द्वारा प्राप्त किये गये जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग मेरे फसल में किया गया है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर ली गई अनुदान की राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा/दूँगी तथा मेरे विरूद्ध संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का नाम/हस्ताक्षर/तिथि

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

अनुसूची–04

लाभान्वित कृषकों (जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण संबंधित) की सू संधारित करने हेतु विहित प्रपत्र

जिला का नामः–

वित्तीय वर्ष :–

प्रखंड का नामः–

क्र0 सं0	लाभान्वित कृषक का नाम	कृषक के पिता/पति का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषक का वर्गीकरण (अनु0जा0/अनु0ज0जाति/सामान्य)	कृषक का प्रकार (लघु/सीमान्त/महिला/अन्य)	वितरित किये गये जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा (किग्रा0 में)		कुल मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
							उपादान का नाम	मात्रा (किग्रा0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर